संख्या-58/2015/वे0आ0-2-962/दस-15-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 03 नवम्बर,2015

विषय- डिप्लोमा फार्मासिस्ट संवर्ग के पदों की वेतन विसंगति से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डिप्लोमा फार्मासिस्ट संवर्ग के पदों की वेतन विसंगति से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर दिनांक 14 अगस्त, 2015 द्वारा विचार किया गया।

2- मुख्य सचिव समिति की बैठक का कार्यवृत संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-58/2015/वे0आ0-2-962/दस-15-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मुख्य सचिव समिति की दिनांक 14 अगस्त, 2015 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 14 अगस्त, 2015 को सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :––

(i) श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव वित्त विभाग – सदस्य

(ii) श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग – सदस्य

(iii) श्री अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग – सदस्य

(iv) श्री अजय अग्रवाल, सचिव वित्त विभाग – सदस्य सचिव

2– मुख्य सचिव समिति की बैठक हेतु निर्धारित एजेन्डा के अनुसार डिप्लोमा फार्मासिस्ट संवर्ग के पदों पर वर्तमान में निर्धारित ग्रेड वेतन में संशोधन/उच्चीकरण से सम्बन्धित विषय को समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

3– बैठक में मुख्य सचिव समिति को उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में निम्नवत् अवगत कराया गया :––

(1) डिप्लोमा फार्मासिस्ट संवर्ग के पदों पर वर्तमान में निर्धारित ग्रेड वेतन में संशोधन/उच्चीकरण से सम्बन्धित प्रकरण पत्र अर्धशासकीय पत्र संख्या–यू0ओ0–वे0आ0–1–614/दस–2015 दिनांक 05 अगस्त, 2015 द्वारा मुख्य सचिव समिति को संदर्भित किया गया।

(2) विभाग द्वारा फार्मासिस्ट संवर्ग तथा नर्सिंग संवर्ग के लिये निर्धारित प्रशिक्षण तथा पदोन्नति के अवसरों की तुलना करते हुए फार्मासिस्ट के पद पर स्टाफ नर्स के समान ग्रेड वेतन रु0 4600/– अनुमन्य कराते हुये संवर्ग के उच्च पदों पर निम्नवत् नर्सिंग संवर्ग के समान ग्रेड वेतन अनुमन्य कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :––

क0 सं0	पदनाम/पदों की संख्या	वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0 में)	नर्सिंग संवर्ग से समानता के आधार पर प्रस्तावित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रु0 में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1–	फार्मासिस्ट/ 5561	वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन 2800/– 02 वर्ष की सेवा के उपरान्त नॉन	वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन 4600/–

MSS chikitsa vibhag

		फॅक्शनल आधार पर वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन 4200/–	
2–	चीफ फार्मासिस्ट/1385	वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन 4600/–	वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन 4800/–
3–	प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी)/82	वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन 4800/–	वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन 5400/–
4–	विशेष कार्या–धिकारी (फार्मेसी)/01	वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन 5400/–	वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन 6600/–
5–	संयुक्त निदेशक (फार्मेसी)/01	वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन 6600/–	वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन 7600/–

(3) प्ररताव के पक्ष में मुख्य रुप से प्रस्तुत आधार/औचित्य का विवरण निम्नवत् है :—

(i) केन्द्र सरकार में कार्यरत फार्मासिस्टों एवं प्रदेश में फार्मासिस्ट के कार्य एंव उत्तरदायित्वों में बहुत अन्तर है। उत्तर प्रदेश में उक्त पदधारक अत्यन्त दुरुह परिस्थितियों में सुदूर ग्रामीण अंचलो में भी कार्य करते है।

(ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये नर्सिंग संवर्ग के पद सृजित नहीं होते है। अतः भर्ती मरीजों से सम्बन्धित नर्सिंग कार्य भी फार्मासिस्ट द्वारा ही सम्पन्न किया जाता है।

(iii) दिनांक 01 जुलाई, 1979 से पूर्व तथा दिनांक 01 जुलाई, 1979 से नर्सिंग संवर्ग की असिस्टेन्ट मैट्रन तथा फार्मासिस्ट संवर्ग के चीफ फार्मासिस्ट के पद पर एक समान वेतनमान क्रमशः रु0 400–550 तथा रु0 622–940 निर्धारित था।परन्तु दिनांक 01 जनवरी, 1986 से असिस्टेन्ट मैट्रन के पदों पर चीफ फार्मासिस्ट से उच्च वेतनमान अनुमन्य कराये गये।

(4) बैठक में प्रशासकीय विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि केन्द्र से समकक्षता के सिद्धान्त के आधार पर फार्मासिस्ट संवर्ग के प्रथम स्तर के पद पर केन्द्र के समान

MSS chikitsa vibhag

वेतनमान एवं नॉन फन्कशनल वेतनमान की व्यवस्था की गयी है। फार्मासिस्ट संवर्ग में प्रथम स्तर के अतिरिक्त उच्च स्तर के पदों (चीफ फार्मासिस्ट, प्रभारी अधिकारी, विशेष कार्याधिकारी तथा संयुक्त निदेशक) पर केन्द्र से समानता के आधार पर वेतनमान निर्धारित नही है। अतः फार्मासिस्ट संवर्ग में चीफ फार्मासिस्ट के पद पर ग्रेड वेतन रू0 4600/— के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 4800/—, प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी) के पद पर ग्रेड वेतन 4800/— के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 5400/— , विशेष कार्याधिकारी (फार्मेसी) के पद पर ग्रेड वेतन 5400/— के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 6600/— तथा संयुक्त निदेशक (फार्मेसी) के पद पर ग्रेड वेतन 6600/— के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 7600/— अनुमन्य कराये जाने पर विचार किया जा सकता है। उक्त व्यवस्था करने से फार्मासिस्ट संवर्ग में फार्मासिस्ट के पद से उच्च स्तर के पदों पर नर्सिंग संवर्ग के अनुरूप वेतनमान अनुमन्य हो जायेगा।

(5) उक्त प्रकरण पर वित्त विभाग द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया :—

(i) वर्ष, 1986 में केन्द्र से समकक्षता का सिद्धान्त अपनाते हुये राज्य सरकार द्वारा समता समिति (1989) का गठन किया गया। समता समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों के अनुसार प्रदेश के फार्मासिस्ट संवर्ग में फार्मासिस्ट के पद पर केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर वेतनमान अनुमन्य कराये गये।

(ii) पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार भारत सरकार के सी0जी0 एच0एस0 संगठन में फार्मासिस्ट संवर्ग में फार्मासिस्ट (वेतनमान रू0 4500—7000) के लिये सीनियर फार्मासिस्ट (वेतनमान रू0 5000—8000), असिस्टेन्ट डिपो मैनेजर (वेतनमान रू0 6500— 10500) तथा डिपो मैनेजर (वेतनमान रू0 8000—13500) के पद उपलब्ध थे। प्रदेश के फार्मासिस्ट संवर्ग में फार्मासिस्ट से ऊपर चीफ फार्मासिस्ट, प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी), विशेष कार्याधिकारी (फार्मेसी) तथा संयुक्त निदेशक (फार्मेसी) के पद उपलब्ध थे।

(iii) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर लिये

MSS chikitsa vibhag

गये निर्णय के अनुसार फार्मासिस्ट के पद पर Entry grade वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/– में 02 वर्ष की सेवा पर नॉन फंक्शनल आधार पर वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– अनुमन्य कराया गया।

(iv) वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार फार्मासिस्ट के पद पर केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर Entry grade वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/– में 02 वर्ष की सेवा पर नॉन फंक्शनल आधार पर वेतन बैण्ड–2 ग्रेड वेतन रु0 4200/– अनुमन्य कराने की व्यवस्था की गयी। साथ ही केन्द्र में फार्मासिस्ट के लिये पदोन्नति के 3 स्तर उपलब्ध होने तथा कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रदेश में फार्मासिस्ट संवर्ग में उपलब्ध पदोन्नति के पदों को बनाये रखा गया।

(v) समता समिति (1989)/मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार प्रदेश के नर्सिंग संवर्ग का वेतनमान/ प्रशासनिक ढॉचा केन्द्र के समकक्ष रखा गया। वर्तमान में वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर नर्सिंग संवर्ग के पदों का ढॉचा(पदनाम, वेतनमान, अर्हता/भर्ती कि प्रकिया) केन्द्र में नर्सिंग संवर्ग के लिये निर्धारित ढॉचे के अनुरुप रखा गया है।

(vi) केन्द्र में दोनो संवर्गों(फार्मासिस्ट संवर्ग तथा नर्सिंग संवर्ग) का ढॉचा/ढॉचें के विभिन्न पदों के वेतनमान पृथक पृथक है। अतः प्रदेश में भी तद्नुसार उक्त संवर्गो का ढॉचा/ढॉचें के विभिन्न पदों के वेतनमान पृथक पृथक रखे गये है।

(vii) **फार्मासिस्ट संवर्ग में फार्मासिस्ट के पद पर** इण्टरमीडिएट(विज्ञान) तथा स्टेट मेडिकल फैक्लटी द्वारा प्रदत्त 02 वर्ष की 03 माह की अवधि का फार्मेसी में डिप्लोमा एवं स्टेट फार्मेसी काउन्सिल, उ0प्र0 में पंजीकृत की अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से शत प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था है। जबकि **नर्सिंग संवर्ग में स्टाफ नर्स** के 95 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों से तथा 05 प्रतिशत पद पुरुष

MSS chikitsa vibhag

अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने की व्यवस्था है। सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हताऐं निम्नवत् है :—

(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाईस्कूल परीक्षा और इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो चाहिए।

(ख) संयुक्त प्रान्त नर्स एवं धात्री परिषद् में रजिस्ट्रीकरण के योग्य चिकित्सा और शल्यकर्म नर्सिंग का डिप्लोमा हों।

(ग) **महिलाओं के लिये** संयुक्त प्रान्त नर्स एवं धात्री परिषद् में रजिस्ट्रीकरण के योग्य धात्रिकर्म का डिप्लोमा तथा उक्त परिषद् से नर्स और धात्री के रुप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र ।

(घ) **पुरुषों के लिये** संयुक्त प्रान्त नर्स एवं धात्री परिषद् में रजिस्ट्रीकरण के योग्य साइकियाट्री का डिप्लोमा तथा उक्त परिषद् से नर्स और साइकियाट्री के रुप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र।

स्टाफ नर्स के लिये निर्धारित उपर्युक्त डिप्लोमा की अवधि 03 वर्ष 06 माह है। इस प्रकार फार्मासिस्ट तथा स्टाफ नर्स के पद पर निर्धारित अर्हता में काफी अन्तर है।

(viii) उक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराया गया कि कतिपय अन्य पद, जिन पर केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर वेतनमान अनुमन्य कराया गया है, उनके कार्य एवं उत्तरदायित्व के आधार पर सम्बन्धित पदों पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान अनुमन्य कराये जाने की मॉग की जा रही है। उदाहरण स्वरुप प्रदेश में लैब टेक्नीशियन संवर्ग के अन्तर्गत लैब टैक्नीशियन के पद पर केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर ग्रेड वेतन रु0 2800/– अनुमन्य कराया गया है। प्रदेश में लैब टैक्नीशियन के कार्य एवं उत्तरदायित्व केन्द्र की तुलना में अधिक होने तथा उक्त संवर्ग के कार्य एवं उत्तरदायित्वों में काफी वृद्धि होने के दृष्टिगत लैब टेक्नीशियन के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन रु0 2800/– के स्थान पर ग्रेड

MSS chikitsa vibhag

वेतन रु0 4200/— अनुमन्य कराये जाने की मॉग की गयी थी। लैब टैक्नीशियन से सम्बन्धित प्रकरण मुख्य सचिव समिति को संदर्भित हुआ। मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार लैब टैक्नीशियन के पद पर उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन रु0 4200/— अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया और उक्त पद पर वर्तमान में निर्धारित ग्रेड वेतन रु0 2800/— को यथावत् बनाये रखा गया।

समिति द्वारा की गयी संवीक्षा—

5— उक्त प्रकरण पर विचार विमर्श के आधार पर समिति द्वारा की गयी संवीक्षा निम्नवत हैं :—

(i) प्रदेश में फार्मासिस्ट संवर्ग में फार्मासिस्ट के पद पर केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर Entry grade वेतन बैण्ड—1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/— तथा Entry grade में 02 वर्ष की सेवा पर वेतन बैण्ड—2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/— अनुमन्य कराने की व्यवस्था की गयी। साथ ही केन्द्र में फार्मासिस्ट के लिये पदोन्नति के 3 स्तर उपलब्ध होने तथा कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रदेश में फार्मासिस्ट संवर्ग में उपलब्ध पदोन्नति के पदों को बनाये रखा गया।

(ii) समता समिति (1989)/मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार प्रदेश के नर्सिंग संवर्ग का वेतनमान/प्रशासनिक ढॉचा केन्द्र के समकक्ष रखा गया। वर्तमान में वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर नर्सिंग संवर्ग के पदों का ढॉचा (पदनाम, वेतनमान, अर्हता/भर्ती कि प्रकिया) केन्द्र में नर्सिंग संवर्ग के लिये निर्धारित ढॉचे के अनुरुप रखा गया है।

(iii) केन्द्र में दोनो संवर्गों (फार्मासिस्ट संवर्ग तथा नर्सिंग संवर्ग) का ढॉचा/ढॉचें के विभिन्न पदों के वेतनमान पृथक पृथक है। अतः प्रदेश में भी तद्नुसार उक्त संवर्गो का ढॉचा/ ढॉचें के विभिन्न पदों के वेतनमान पृथक पृथक रखे गये है।

(iv) प्रदेश में लैब टेक्नीशियन संवर्ग के अन्तर्गत लैब टैक्नीशियन के पद पर केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर वेतन बैण्ड—1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/— अनुमन्य कराया गया है। लैब टैक्नीशियन के पद पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड—2 ग्रेड वेतन रु0 4200/— अनुमन्य कराये जाने का औचित्य

MSS chikitsa vibhag

नहीं पाया गया और उक्त पद पर वर्तमान में निर्धारित वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/– को यथावत् बनाये रखा गया। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए फार्मासिस्ट संवर्ग में फार्मासिस्ट के पद पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– निर्धारित किये जाने का अवसर नही है।

(v) फार्मासिस्ट के पद पर सीधी भर्ती हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) तथा स्टेट मेडिकल फैक्लटी द्वारा प्रदत्त 02 वर्ष की 03 माह की अवधि का फार्मेसी में डिप्लोमा की अर्हता निर्धारित है। जबकि स्टाफ नर्स के पद पर सीधी भर्ती हेतु इण्टरमीडिएट के साथ महिलाओ के लिये चिकित्सा एवं शल्यकर्म नर्सिंग एवं धात्रीकर्म का डिप्लोमा तथा पुरुष अभ्यर्थियों के लिये चिकित्सा एवं शल्यकर्म नर्सिंग एवं साइकियाट्री का डिप्लोमा की अर्हता निर्धारित है। उक्त डिप्लोमा की अवधि 03 वर्ष 06 माह है। इस प्रकार स्टाफ नर्स के पद की अर्हता फार्मासिस्ट के पद की अर्हता से उच्च है। अतः फार्मासिस्ट के पद पर स्टाफ नर्स के समान वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–अनुमन्य कराये जाने का अवसर नहीं है।

(vi) फार्मासिस्ट संवर्ग के उच्च स्तर के पदों पर नर्सिंग संवर्ग के पदों से समानता के आधार पर वेतनमान अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में उपर्युक्त उप प्रस्तर–i से iii में उल्लिखित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में नर्सिंग संवर्ग के लिये निर्धारित ढांचे/वेतनमानों से समानता के आधार पर फार्मासिस्ट संवर्ग का ढांचा/वेतनमान निर्धारित किये जाने का अवसर नही है।

<u>समिति की संस्तुतियां –</u>

6– उक्त परिदृश्य में सम्यक् विचारोपरान्त समिति की संस्तुतियॉ निम्नवत् हैं :––

(i) प्रदेश में फार्मासिस्ट संवर्ग में फार्मासिस्ट के पद पर वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– अथवा वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–निर्धारित किये जाने का औचित्य नही है। उक्त पद पर केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर Entry grade वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/– तथा Entry grade में 02 वर्ष की सेवा पर वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– अनुमन्य कराने की व्यवस्था को

यथावत बनाये रखा जाय।

(ii) फार्मासिस्ट संवर्ग के उच्च स्तर के पदों पर नर्सिंग संवर्ग के पदों से समानता के आधार पर वेतनमान अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नही है। प्रदेश में फार्मासिस्ट संवर्ग के लिये निर्धारित ढांचे/वेतनमानों को यथावत बनाये रखा जाय।

(राहुल भटनागर)	(राजीव कुमार)	(अरविन्द कुमार)	(अजय अग्रवाल)
सदस्य।	सदस्य।	सदस्य।	सदस्य–सचिव।

(आलोक, रंजन)
अध्यक्ष।

दिनांकः 14 अगस्त, 2015 ।